

दि. 31/12/2019

फार्म

GAI Form (W) I

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **संजय खेडकर, सहायक इंस्पेक्टर** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास**

3. वर्तमान वंतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1/7/2020**

| उस जिन, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे | संपत्ति से वार्षिक आय | अभिपुक्ति |
|--|--|------|---|--|---|-----------------------|-----------|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| ग्राम - कोटरा - सुल्तानबाद तहसील - हुजूर जिला - भोपाल संभाग - भोपाल | गृह भवन मं.नं. 132 गोमतीकालोनी निहरु नगर कोटरा भोपाल (म.प्र.) | - | रु. 50.00 लाख (बन फर्चाउ लाख) लगभग | स्वयं के नाम पर | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया - ब्रांच - शहपुरा भोपाल से होम फाफेस अंतर्गत बंधक | - | - |

जहां लागू न हो फाट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम **संजय खेडकर**
 पद **सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास**
 जिला - सिंगरौली म.प्र.